न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16/2016
प्रविष्टि दिनांक 18.07.2016

1.सूरज पुत्र कजोड़ जाति यादव निवासी ग्राम बिचपुड़ी तहसील व जिला–टोंक
2.बन्नालाल पुत्र कजोड़ जाति यादव निवासी ग्राम बिचपुड़ी तहसील व जिला–टोंक

............प्रार्थीगण

बनाम

1.बद्री पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक जिला–टोंक
2.रामअवतार पुत्र मूलचन्द खटीक निवासी संघपुरा पुरानी टोंक
3.भू–आवंटन सलाहकार समिति टोंक

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री केलाश अहलूवालिया अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री योगेश व्यास, श्री विवके चोधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक 04.01.2021**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति टोंक द्वारा दिनांक 23–12–1975 को प्रतिपक्षी बद्री को आ0ख0नं0 423 रकवा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 23–12–1975 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना प्रतिपक्षी बद्री पुत्र कल्याण को आ0ख0नं0 423 रकबा 4 बीघा भूमि का आवण्टन ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक में किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजो का सम्वत 2022 से कब्जा काश्त था, इस कारण उक्त आराजी आलाटमेंट योग्य नहीं थी। अपीलान्ट व उसके परिवार वालों ने दिनांक 25–5–1990 को लिखित इकरारनामें में भी अंकित किया है कि उनका इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का रहा है। उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट नं0 1 को अलाट हो जाने के [illegible] भूमि उनके खातेदारी में लग गई ओर उसका फायदा उठाते हुए उक्त [illegible] रेस्पोडेण्ट सं0 2 को विक्रय कर दिया। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में उक्त [illegible] रेस्पोडेण्ट नं0 2 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

दर्ज है। ' आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलान्ट ने उक्त आराजिलयात में वर्तमान में गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिपक्षी बद्री पुत्र कल्याण बेरवा को किया गया 4 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी को आ0ख0नं0 423 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षीगण की खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। आवण्टी को भूमि खाली होने के कारण ही मौके पर कब्जा संभलाकर सुपुर्दगीनामा दिया गया है। यदि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त था तो उनके द्वारा भूमि के आवण्टन करते समय चाराजोही करनी चाहिये थी तथा आवण्टन के समय से अब तक लगभग 40 वर्ष वाद आवण्टन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी बद्री पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक को भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 23-12-1995 को ख0न0 423/1 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम चन्दलाई मे आवंटन किया गया है तथा उक्त भूमि का कब्जा संभलाकर सुपुर्दगीनामा दिनांक 24-12-1975 को अलाटी को दिया गया है। आवण्टी को भूमि का आवण्टन किया जाकर उसे विधिवत रूप से कब्जा संभलाने के उपरान्त यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर भी लिया जावे तो उसका कानूनन कोई महत्व नहीं है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के कब्जे को आवण्टन निरस्तीकरण का आधार नहीं बनाया जा सकता। आवंटित भूमि पर प्रतिपक्षी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर अन्य व्यक्ति को बेचान की है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर बद्री पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक जिला टोंक को दिनाक 23-12-1975 को आ0ख0नं0 423/1 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
ज़िला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner